Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

भीलवाडा गैस सर्विस बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **192** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। हस्तगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा कार्यवाही दिनांक 21.08.2022 के बाबत् पेश किया गया। उक्त प्रकरण आवेदक प्रवर्तन अधिकारी रावतभाटा द्वारा जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत् आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रकरण संख्या 015/2022(रसद) दर्ज रजिस्टर होकर लम्बित है। उक्त दोनो प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ के निस्तारण का तथ्य एक ही होने से उक्त दोनों प्रकरणों को सुनवाई हेतु एक साथ रखा गया। हाजिर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। हमने पत्रावलियों का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का चिंतन–मनन किया गया। न्यायालय हाजा में मूल प्रकरण प्रकरण संख्या 015/2022(रसद) अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अनवानी सरकार बनाम दूदालाल वगैराह में निर्णय दिनांक 20.09.2022 से प्रवर्तन अधिकारी रावतभाटा द्वारा की गई कार्यवाही दिनांक 21.08.2022 में जब्तशुदा 64 घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये गये है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल पत्रावली होकर है। रिकार्ड पर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही मूल प्रकरण संख्या 015/2022 (रसद) के साथ हम किता रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। S/d- (अरविन्द कुमार पोसवाल) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 20.09.2022 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	